



सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141-2744283, फैक्स नं0 0141-2740568, ईमेल आईडी-rsscjaipur@gmail.com

क्रमांक : एफ-9 / खेल उपकरण (2) / स्टोर / 2023-24 / 267

दिनांक :23.02.2024

ई-निविदा संख्या ...५.७. / 2023-24 दिनांक 2.9.02.2024

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद की ओर से निर्माता/अधिकृत विक्रेताओं से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महासंघों से अनुमोदित स्तर के खेल उपकरणों की आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में द्वि—प्रक्रमी बोली यथा तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड ई—प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन ई—निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। संबधित पूर्ण विवरण वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in तथा www.rssc.in पर देखा जा सकता है।

	विवरण	:	निर्दिष्ट राशि एवं समय
1.	अनुमानित लागत	:	25.00 लाख रूपये
2.	निविदा डाउनलोड प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 29.02.2024 समय 04:00 PM
3.	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	दि. 11.03.2024 दोपहर 1:00 बजे तक
4.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	दि. 11.03.2024 को 05:00 PM बजे

क्र.	शुल्क का	शुल्क	भुगतान का प्रकार	जमा कराने	देय
सं.	विवरण			की दिनांक	
1	निविदा शुल्क	500 / - रूपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा	दिनांक	सचिव, राजस्थान राज्य
			बैंकर चैक	11.03.2024	क्रीड़ा परिषद, जयपुर
2	धरोहर राशि	अनु. लागत का 2		दोपहर 03:00	सचिव, राजस्थान राज्य
		प्रतिशत राशि	चैक	बजे तक	क्रीड़ा परिषद्, जयपुर
		रूपये 50,000 / —			
3	ई—टेण्डरिंग	500 / - रूपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा		Managing Director RISL
	प्रक्रिया शुल्क		बैंकर चैक		(Payable at Jaipur)

शुल्क एवं अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर कार्यालय में स्टोर शाखा में रखे गये सील बन्द बॉक्स में दिनांक 11.03.2024 समय अपराह्न 3:00 बजे तक पत्र के साथ ऑफलाईन जिम्म करामे होंगे

(सोहन राम चौधरी)

आर.ए.एस

सचिव





सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरमाष नं0 0141-2744283, फैक्स नं0 0141-2740588, ईमेल आईडी-rsscjaipur@gmail.com

क्रमांक : एफ-9/खेल उपकरण (2)/स्टोर/2023-24/267

दिनांक :29.02.2024

ई-निविदा संख्या .4.6./2023-24 दिनांक 2.3.02.2024

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर महासंघों से अनुमोदित स्तर के खेल <u>उपकरणों/मशीनों</u> के क्रय हेतु केवल अधिकृत विक्रेताओं/विनिर्माताओं से ही ऑन-लाईन ई-बिड आमंत्रित की जाती है। आवेदक द्वारा ऑन-लाईन ई-बिड के अन्तर्गत चाहे गये तकनीकी दस्तावेज के साथ धरोहर राशि, निविदा शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के पक्ष में देय होगें एवं ई-प्रक्रिया प्रोसेसिंग फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक M.D. R.I.S.L. JAIPUR के पक्ष में देय होगें, दिनांक 11.03.2024 दोपहर 3:00 बजे तक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में जमा कराने होगें। तकनीकी एवं वित्तीय ई-बिड दिनांक 11.03.2024 दोपहर 1:00 बजे तक Online प्रस्तुत की जा सकेगी।

तकनीकी बिंड दिनांक 11.03.2024 को समय सांय 05:00 बजे खोली जावेगी। तकनीकी रूप से योग्य आवेदकों की ही वित्तीय बिंड खोली जावेगी जिसकी सूचना पृथक से प्रेपित की जावेगी।

निविदा प्रपन्न, नियम व शर्तों का अवलोकन राज्य लोक उपापन पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in तथा www.rssc.in पर किया जा सकता है।

किसी भी निविदा, निविदा के अंश अथवा सम्पूर्ण निविदा को बिना किसी सूचना एवं कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।

आवेदनकर्ता के पास वैद्य डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट—(DSC) जो कि Class-III का होना आवश्यक है, जिसको DSC eproc.rajasthan.gov.in की Website पर रजिस्टर्ड करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हैल्पडेस्क (eproc-cell) 0141—4022688 or E-mail eproc@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(सोहन राम चौधरी) आर.ए.एस

सचिव





सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141-2744283, फैक्स नं0 0141-2740568, ईमेल आईडी-rsscjaipur@gmail.com बोली शुल्क रूपये 500/-

बोली प्रक्रिया शुल्क रूपये 500/-

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय :- 11.03.2024 समय दोपहर 1:00 बजे तक तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय :- 11.03.2024 समय सांय 5:00 बजे

	विभिन्न खेल उपकरण क्रय हेतु ई-बोली संख्या/2023-24 दिनांक 2.9.02.2029
	विभिन्न खेल उपकरण क्रेय हेतु इ-बाला संख्या
1.	ई-बोली प्रस्तुत करने वाली फेम का नाम ९५ डायर यह रहार रहार है
	Δ
2.	बोलीदाता का :- पैन नं.
	जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन नं
3.	जी.एस.टी रजिस्ट्रशन ने निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रूपये 500/— मात्र तकनीकी बोली खोलने से पूर्व ऑफ लाईन
	डींंग्डींंग / बैंक्स चेंक जी कि सीचव, राजस्थान राज्य अनुन सरम् करानी होगी। डी.डी. / बैंकर चैंक संख्या दिनांक बैंक का नाम करानी होगी। डी.डी. / बैंकर चैंक संख्या
4	, a 1 1
	े रंगा की जाती रामके अभाव में कार्ड भी बाला स्वाकार गहा का जायना। जाउन, प्रकार
	\$: \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
5	- \ \ \frac{1}{2} = \frac{1}{2
J.	में देय होगा, संलग्न है। डी.डी./बैकर चैक संख्या दिनांक बैक
_	बोली जिसे सम्बोधित की जानी है :- सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, सवाई मानसिंह
0.	स्टेडियम, जयपुर।
_	
1.	जी. एस. टी. देयता प्रमाण-पत्र दिसम्बर 23 तक का जी.एस.टी.आर3बी प्रपत्र में संलग्न किया
8.	जा. एस. टा. द्यता प्रमाण-पत्र प्रिंग पर 20 राज का का जा का
	जाना आवश्यक है। दरें एफ. ओ. आर. अर्थात गन्तव्य स्थान यथा सवाई मानसिंह स्टेड़ियम जयपुर तक
9.	दूर एफ. आ. आर. अथात गन्तव्य स्थान पया रापाइ ना गाराट राज्य समस्त करों सहित देनी
	ट्रान्सपटिशन खर्चा साहत तथा कन्द्र व राज्य सरकार द्वारा पूर्व रागरा कर राज्य र
	होंगी। वांछित आपूर्ति सामग्री गन्तव्य स्थल पर सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी निविदादाता की
	होगी। कार्यादेश जारी होने के 30 दिवस में सप्लाई करना आवश्यक होगा।
10-	Pre-qualification criteria: Only those bidders that meet the criteria mentioned below will
	he considered for qualification

	De Considered for qualification	Proof to be submitted		
PQ requirement	Criteria			
Background	Should be a dealer or manufacturer of sports equipment in year of 2022-23.	Certificate of Authorisation that clearly mention that agency is manufacturer/ authorised dealer of sports equipment. Dealer authorization for financial year 2022-23.		
Turnover	Should have minimum turn over of Rs. 25.00 Lacs per year (Last 2 Financial Year i.e. 2021-22 to 2022-23)	Year 2021-22 to 2022-23 का Turn over प्रनाण पत्र पर सीए का यूडीआईएन अंकित के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।		
Previous work experience	Should have successfully completed Sports Equpments Supply order of Govt./Semi Govt./Public Department /Reputed Pvt.	Single Work order of Ruppes 15 Lacs and its completion certificate or Work order and its GST Sales Invoice.		

- 11.Equipment specifications: Detailed sports equipment specifications are provided in technical bid document. All technical brochures and certificates should be provided during bid submission. After checking for pre-qualification, the technical committee will compare brochures/technical literature with the required specifications.
- 12 **Warranty:** Bidder will have to provide minimum 12 months comprehensive warranty where necessary of sports equipments i.e. if that is permament nature. In case there is need for repair, same will be done without any additional cost for labour, transport of labour or spare parts. Time given for any repair will be maximum 7 days. Penalty of 1% of equipment supply cost per 7 days will be levied in case equipment is not repaired within the above time frame.

13 **Delivery Period:** The maximum delivery period for the equipment will be 30 days from the day work order is provided.

14 **Equipment submission:** In case bidder wants to bid only for selected items and not all items, the rates in BOQ should be filled only for those items. In the final submitted BOQ, if rate is found to be 0, it will be assumed that bidder has not bid for that item. Accordingly, technical documents and samples should also be provided only for those items.

15 ई—बिड़र को विभिन्न खेल उपकरणों के केटलॉग/ब्रासर्स पर टेक्निकल बिड़ में अंकित खेल उपकरण का आईटम संख्या अंकित कर स्वयं के हस्ताक्षर व सील चशपा करना

आवश्यक है।

16 ई-बिड़र द्वारा विभिन्न खेल उपकरणों के बिड़ ब्राण्ड एवं स्पेशीफिकेशन्स हेतु बिड किये जाने वाले उपकरणों के डिटेल्ड ब्रोशर्स संलग्न करने होंगे।

17 वित्तीय—बिड़ मूल्यांकन का तरीका:—
तकनीकी बिड़ में जो ई—निविदादाता योग्य पाए जावेंगे उन्हीं ई—निविदादाताओं की
वित्तीय बिड़ खोली जावेगी । वित्तीय बिड़ खोले जाने का आशय यह नहीं है कि वित्तीय
बिड़ खोली गयी समस्त ई—निविदादाताओं के समस्त सामग्री की दरों को तुलनात्मक
वित्तीय विवरण—पत्र में शामिल कर न्यूनतम दर का चयन किया जावेगा। इसके लिए
निम्न प्रक्रिया अपनायी जावेगी।
तकनीकी बिड़ खोलने के लिए योग्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत खेल उपकरण के
कैटलॉग की जांच तकनीकि समिति से करायी जावेगी। तकनीकि समिति की अभिशंषा के
आधार पर अनुमोदित सामग्री के ई—निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत दरों को ही तुलनात्मक
वित्तीय विवरण—पत्र में शामिल किया जावेगा।

18 बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर करने होगें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर



निविदा की शर्तें :-

- 1. बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग—अलग ऑन लाईन प्रस्तुत की जानी होगी। तकनीकी रूप से सफल बिडर की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी रूप से अस्वीकृत बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 2. (अ) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना परिषद को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जावेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।
- (ब) संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी नये भागीदार/भागीदारों का बोलीदाता द्वारा फर्म से सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया जावेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं परिषद को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते प्राप्ति स्वीकृति के लिए बोलीदाता की रसीद को बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा ये संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति डिस्चार्ज होगी।
- 3. कोई भी डीलर यदि जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। इनके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4. बोली ऑन-लाईन प्रस्तुत की जावेगी एवं निर्दिष्ट कॉलमों में प्रविष्टी की जावेगी।
- 5. दरें सभी लागू करों सिहत गन्तव्य स्थान सवाई मानिसंह स्टेडियम जयपुर तक एफ.ओ. आर. के आधार पर (एसेम्बल सिहत) होगीं अर्थात परिवहन संबंधी कोई राशि परिषद द्वारा पृथक से देय नहीं होगी।
- 6. ई—बोलियां उपापन अधिनियम/पारदर्शिता अधिनियम के तत्संबंधी प्रावधानों (धारा—28 आदि) के अध्यधीन रहते हुये उनके खोले जाने की **दिनांक से एक वर्ष** की अवधि के लिए विधि मान्य होंगी।
- 7. बोलीदाता अपनी संविदा या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उपभाडे पर नहीं देगा।
- बोलीदाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनर्हता होगी। हित विरोधी धारा 80 होगी।
- 9. विहित समय एवं तारीख के पश्चात् जो भी ई—बोलियां प्राप्त होंगी उन्हें किसी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 10. यदि बोलीदाता ऐसी कोई शर्त आरोपित करता है जो उसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा।
- 11. किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सबके लिए या एक या अधिक के लिए अलग बोली को स्वीकार करने या एक फर्म / प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को क्रेताधिकारी अपने पास आरक्षित रखेगा।

बयाना राशि :-

- (क) तकनीकी बोली से पूर्व (2 प्रतिशत बोली सूचना के अनुसार) 50,000 / की बयाना राशि ऑफ—लाईन प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना बोलीओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के पक्ष में बैंक ड्राफट / बैंकर्स चैक में से किसी रूप में जमा करायी जा सकती है।
- (ख) असफल बोलीदाता की बयाना राशि बोली को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा संभव शीघ्र लौटा दी जावेगी।
- (ग) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण परिषद कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नवीन निविदा के लिए बायाना राशि/प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।
- 13. **बयाना राशि का समपहरणः** बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहरत कर लिया जायेगाः—
 - (क) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।
 - (ख) जब बोलीदाता विर्निष्ट समय के भीतर विहित करार को निष्पादित नहीं करता है।
 - (ग) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।
 - (घ) जब वह निर्धारित समय के अन्तर्गत आदेशों के अनुसार सामग्री आपूर्ति करने में असफल रहता है अथवा संतोषजनक सेवाएं देने में असमर्थ रहता है।

14. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :--

- (क) सफल बोलीदाता को आदेश दिनांक से 3 दिन की अवधि के भीतर नियमानुसार मूल्य के नॉन ज्यूडिशियन स्टॉम्प पेपर पर (जिसका व्यय स्वयं बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा) एक करार—पत्र निष्पादित करना होगा तथा प्रावधित मूल्य जिसके लिए बोली स्वीकार की गई है उसके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति बोली को स्वीकार किये जाने की सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक से सात दिन में जमा कराई जायेगी।
- . (ख) बोली के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जायेगा।
- (ग) बयाना / प्रतिभूति राशि पर परिषद द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (घ) प्रतिभूति राशि के रूप में नकद रसीद पत्र/शिड्यूल बैंक का ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक मान्य होंगे।

- 15. प्रतिभूति राशि का समपहरण :— प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरत किया जायेगा:—
 - (क) जब संविदा की किसी शर्त / अथवा शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
 - (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहरत करने के मामले में युक्तियुक्त नोटिस दिया जावेगा इस सम्बन्ध में परिषद के अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
 - (घ) कार्य में असफल रहने पर परिषद द्वारा वैकित्पिक व्यवस्था किये जाने पर उसमें जो भी व्यय होगा बोलीदाता से उसकी प्रतिभूति राशि में से अथवा उसको देय बिल की राशि के भुगतान में से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
- 16. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा परिषद को उस करार पत्र की निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रति पडत निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।
- 17. कैटलॉग / ब्रोशर्स :- बोली के साथ प्रदाय की जाने वाली सामग्री का कैटलॉग / ब्रोशर्स होना अनिवार्य है। प्रत्येक ब्रोशर्स पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गई किसी मजबूत कागज की पर्ची पर बोलीदाता का नाम, मद (आईटम) की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची (तकनीकी बिड / वित्तीय बिड़) में उपकरण है, लिखा जायेगा। कैटलॉग / ब्रोशर्स पर किसी भी स्थिति में मूल्य अंकित नहीं किया जायेगा।
 - (क) बोलीदाता को प्रत्येक आईटम/उपकरण/उत्पाद की दरें सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित देनी होगी अर्थात् उत्पाद/उपकरण का नाम/ट्रेड़ मार्क/व्यापारिक नाम तथा उप नाम यदि कोई हो आदि सहित दरें प्रस्तुत करेगा तथा प्रत्येक का कैटलॉग/ब्रोशर्स प्रस्तुत करेगा।
 - (ख) बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कैटलॉग/ब्रोशर्स वे ही कैटलॉग/ब्रोशर्स विचारणीय होंगे जिनके साथ Competent Authorities द्वारा प्रदत्त यथा लागू प्रमाण पत्र संलग्न होगा कि बिड की जा रही सामग्री अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय महा संघों से अनुमोदित किये Norms & Standard की है। इस प्रमाण पत्र के बिना बिड स्वीकार योग्य नहीं होंगे। यदि किन्हीं आईटम ऐसे हो जिनका सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त प्रकार का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है ऐसे खेल उपकरणों के लिए बिडर द्वारा अण्डरटेकिंग दी जायेगी।
- 18. प्रदाय की गई सभी वस्तुएं बोली में निर्धारित संबंधित खेल की विशिष्टा, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, वहां उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।
- 19. निरीक्षण एवं परीक्षण :— प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि वे विर्निदेशों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हों वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण ग्रहों में कराया जा सकता है। प्रदाय की गयी सामग्री बिड में दिये गये स्पेशीफिकेशन/ब्राण्ड के अनुरूप नहीं होने पर

Or State

- 15. प्रतिभूति राशि का समपहरण :— प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरत किया जायेगा:—
 - (क) जब संविदा की किसी शर्त / अथवा शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
 - (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहरत करने के मामले में युक्तियुक्त नोटिस दिया जावेगा इस सम्बन्ध में परिषद के अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
 - (घ) कार्य में असफल रहने पर परिषद द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर उसमें जो भी व्यय होगा बोलीदाता से उसकी प्रतिभूति राशि में से अथवा उसको देय बिल की राशि के भुगतान में से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
- 16. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा परिषद को उस करार पत्र की निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रति पडत निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।
- 17. कैटलॉग / ब्रोशर्स :— बोली के साथ प्रदाय की जाने वाली सामग्री का कैटलॉग / ब्रोशर्स होना अनिवार्य है। प्रत्येक ब्रोशर्स पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गई किसी मजबूत कागज की पर्ची पर बोलीदाता का नाम, मद (आईटम) की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची (तकनीकी बिड / वित्तीय बिड़) में उपकरण है, लिखा जायेगा। कैटलॉग / ब्रोशर्स पर किसी भी रिथति में मूल्य अंकित नहीं किया जायेगा।
 - (क) बोलीदाता को प्रत्येक आईटम/उपकरण/उत्पाद की दरें सम्पूर्ण विशिष्टियों सिहत देनी होगी अर्थात् उत्पाद/उपकरण का नाम/ट्रेड़ मार्क/व्यापारिक नाम तथा उप नाम यदि कोई हो आदि सिहत दरें प्रस्तुत करेगा तथा प्रत्येक का कैटलॉग/ब्रोशर्स प्रस्तुत करेगा।
 - (ख) बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कैटलॉग/ब्रोशर्स वे ही कैटलॉग/ब्रोशर्स विचारणीय होंगे जिनके साथ Competent Authorities द्वारा प्रदत्त यथा लागू प्रमाण पत्र संलग्न होगा कि बिड की जा रही सामग्री अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय महा संघों से अनुमोदित किये Norms & Standard की है। इस प्रमाण पत्र के बिना बिड स्वीकार योग्य नहीं होंगे। यदि किन्हीं आईटम ऐसे हो जिनका सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त प्रकार का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है ऐसे खेल उपकरणों के लिए बिडर द्वारा अण्डरटेकिंग दी जायेगी।
- 18. प्रदाय की गई सभी वस्तुएं बोली में निर्धारित संबंधित खेल की विशिष्टा, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, वहां उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।
- 19. निरीक्षण एवं परीक्षण :— प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि वे विर्निदेशों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हों वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण ग्रहों में कराया जा सकता है। प्रदाय की गयी सामग्री बिड में दिये गये स्पेशीफिकेशन/ब्राण्ड के अनुरूप नहीं होने पर

Orus

सम्पूर्ण प्रदाय अथवा उसके अंश को रद्द कर दिया जायेगा। रद्द किये गये प्रदाय को बोलीदाता द्वारा उन्हें परिषद द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा। रद्द किये गये सामग्री को प्रदायकर्ता 15 दिन की अवधि में हटा लेगा, इसके बाद परिषद किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

- 20. परिषद के प्राधिकृत अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता / ठेकेदार के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसे भी हो किसी भी समय सामग्री का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।
- 21. परीक्षण प्रभार परिषद द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता है या यदि परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
- 22. परिषद इसमें से किन्ही वस्तुओं की खरीद नहीं करती है या बोली में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
- 23. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व परिषद से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
- 24. सफल बोलीदाता को क्रय आदेश जारी तिथि के 30 दिवस के अन्दर प्रदाय करना होगा, तथा उचित पैंकिंग करेगा ताकि परिवहन के दौरान नुकसान नहीं हो। परिवहन के दौरान किसी प्रकार की टूट—फूट, नुकसान, हानि या रिसाव या किसी प्रकार की कमी होने के मामले में, बोलीदाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
- 25. यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगें परन्तु शर्त यह है, कि ऐसे पुनआदेश मूल रूप से खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक के अतिरिक्त प्रदाय के लिए ही होगें।
- 26. गारन्टी :-बोलीदाता यह गारन्टी देगा कि खेल उपकरण-सामग्री सुपुर्दगी एवं स्थापित के दिनांक से एक वर्ष अवधि अथवा विनिर्माता द्वारा दी गयी गारन्टी अवधि जो भी अधिक हो तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी, तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने सुपुर्द सामग्री को अनुमोदित कर दिया है, यदि निर्दिष्ट गारन्टी अवधि में आपूर्ति सामग्री गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पायी गयी तो क्रेता अधिकारी ऐसी सम्पूर्ण / आंशिक सामग्री को रदद करने का हकदार होगा। ऐसी रदद की गयी सामग्री विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा, माल आदि को रदद करने से संबंधित समस्त उपबन्ध लागू होंगे। बोलीदाता को, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहां जाए, तो वह उस माल को या उसके किसी भाग को, जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रदद कर दिया गया है, बदलना होगा अन्यथा बोलीदाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंधन के कारण उत्पन्न होगी।

27. प्रदाय की गयी सामग्री को निविदादाता द्वारा यथा निर्दशित स्थान पर सम्बन्धित खेल प्रशिक्षक के निर्देशानुसार स्थापित (Installation) किया जावेगां जिसके लिये अलग से भुगतान नहीं किया जावेंगा।

28. परिसमापित नुकसानी :--

(1) परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है:-

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनिधिक के लिए 5%

(ग) आधी अविध से अधिक किन्तु विहित अविध के तीन चौथाई से अनिधक के

लिए 7.5%

- (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए 10%
- (2) प्रदाय में विलम्ब अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।
- (3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।
- (4) यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में परिषद को आवेदन करेगा। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- (5) यदि माल प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
- 29. वसूली :— परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसे देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

31. भुगतान :-

- (क) बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में लोक उपापन नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे। किसी भी सूरत में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (ख) विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।
- (ग) उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित

1

- 32. यदि कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य नहीं समझा जाए तो क्रेता अधिकारी बोलीदाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गई कटौती अन्तिम होगी।
- 33. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :--

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो "पार्टनरशिप डीड" की अनुप्रमाणित प्रति।

- (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
- (iii) एक मात्र स्वामित्तव के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
- (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
- 34. संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में या अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।
- 35. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही की जाएगी। अन्यत्र नहीं की जाएगी।
- 36. जी.एफ. एण्ड ए.आर.,राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान लागू होगें।
- 37. तकनीकी बिड में संलग्न किये जाने वाले प्रत्येक संलग्नक के आगे क्रम संख्या T-1, T-2, -----T-17 अंकित है संबंधित दस्तावेज के दायें तरफ ऊपर यह संबंधित संख्या हाथ से अंकित करनी है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मय नाम पता एवं मोहर)

05}

घोषणा

मैने/हमने राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर में खेल उपकरणों उपलब्ध करवाने की बोली के नियम एवं शर्तों को भली—भाँति पढ व समझ लिया है। The bidder should never ever beenblacklisted or debarred by any Central Government department, State Government department, Public Sector undertaking in India नहीं किया गया है। इन शर्तों एवं नियमों के अधीन मैं/हम राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर में खेल उपकरणों उपलब्ध करवाने हेतु सहमत एवं वचनबद्ध हूं/है। यदि मेरे/हमारे द्वारा की किसी बोली की शर्तों, नियमों अथवा आदेशों का उल्लंघन किया जावेगा तो सक्षम अधिकारी द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध बोली के नियम/शर्तों के उल्लंघन की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होगा। इस सम्बन्ध में मुझे/हमें सक्षम/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा तथा इसमें मुझे/हमको कोई आपत्ति/हस्तक्षेप नहीं है।

हस्ताक्षर बोलीदाता
नाम / पता
टेलीफोन नं.
O i -
दिनांक



Declaration by Bidder about certifications of Items

In relation to my/our Bid submitted to	for
procurement ofin response t	to their Notice inviting Bids
No	creby accidio that
 I have submitted certificate issued by competer Sports Items which are as per standard of Internation 	
 Sports item for which the competent authority concertificate for level of National/International. I here supplied by me would be not below the level of National per practice. 	re by declare that sports item
Place:	
Date :	
	Signature of Bidder
	Name Designation :
L ^p	Address :

Organ

BIDDER'S AUTHORIZATION CERTIFICATE (to be filled by the bidder)

To, {Tendering Authority},	
,	
·	
I/ We	{Name/ Designation} hereby declare/ certify
that	
{Name/ Designation} is hereby authorized	to sign relevant documents on behalf of the
company/ firm in dealing with Tender with RAJAS	THAN STATE SPORTS COUNCIL, JAIPUR
He/ She is also authorized to attend meetings	& submit technical & commercial information/
	course of processing the Bid. For the purpose of
validation, his/ her verified signatures are as under	
Thanking you,	
Name of the Dill	
Name of the Bidder: -	Verified Signature:
Authorized Signatory: -	
Seal of the Organization: -	
Date:	
lace:	

Otro L

4. वार्षिक वित्तीय टर्नओवर सूची

		0	
	क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	टर्नओवर राशि (रूपये)
- 1			(1044)
İ	1	2021-22	
	2	2022-23	
- 1			


Last 2 years Certificate from Chartered Accountant (Year 2021-22 to 2022-23). Turn over प्रमाण पत्र पर सीए का यूडीआईएन अंकित होना आवश्यक है। उपर्युक्त के प्रमाण पत्र हेतु चार्टेट एकाउन्टेन्ट के हस्ताक्षर मय सील की प्रति संलग्न करें।



वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में Govt. /Semi Govt.,/Public Sector departments/ Reputed private Sector/Institutions को खेल सामग्री आपूर्ति के अधिकतम मृल्य के आपूर्ति आदेश की सूबी

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आपूर्ति सामगी का नाम	आपूर्ति आदेश संख्या व दिनांक	अनुबन्ध संख्या	संस्था का नाम जिसे सामग्री आपूर्ति की गयी है (जिला व राज्य सहित)	राशि (रूपये)

- नोट :- उपरोक्त के प्रमाण हेतु आपूर्त्ति आदेश की छाया प्रति तथा सम्बन्धित संस्था द्वारा जारी सन्तोषजनक आपूर्ति परफोर्मेन्स का प्रमाण पत्र or आपूर्ति आदेश की छाया प्रति तथा उसका GST Sales Invoice संलग्न करना होगा ।
- वित्तीय वर्ष का आशय 1 अप्रेल से 31 मार्च है।
- कार्य आदेश जिस वित्तीय वर्ष में जारी है, वह उस वित्तीय वर्ष का कार्य आदेश कहलायेगा।







सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141-2744283, फैक्स नं0 0141-2740568, ईमेल आईडी-rsscjaipur@gmail.com

ई—निविदा सूचना संख्या/ 2023—24
TECHNICAL BID
नोट :-टेक्निकल बिड मय शर्तो, अमानत राशि, दस्तावेजों की सूची एवं निविदा की शर्तो आदि के साथ प्रस्तुत की जावे। टेक्निकल बिड में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड पर विचार
किया जायेगा। प्रत्येक संलग्नक के आगे क्रम संख्या T-1, T-2 T-18 अंकित है संबंधित
दस्तावेज के दायें तरफ ऊपर यह संबंधित संख्या हाथ से अंकित करनी है।
1. बोलीदाता का नाम
2. डाक का पता एवं ई—मेल पता
2. 017 71 101 31 2 101
3. टेलिफोन नं. (कार्यालय)
3. CIRANA 1. (47/4/6/4)
(निवासी)
4. बयाना राशि का विवरण :— डी.डी./बैंकर्स चैक, संख्या
बैंक का नामराशिदिदि.
 मैं / हम इस ई—निविदा की समस्त शर्तों से आबद्ध होना स्वीकार करता हूँ / करते हैं।
करार निष्पादित करने की सहमति देता हूँ / देते है।
टेक्निकल बिड :- विभिन्न खेल उपकरणों की ई-बिड संख्या/2023-24 दिनांक
All Itoms Should be as per National/International Norms & Standard.

1. All Items Should be as per National/International Norms & Standar

S.	Name of the Items	Specifications	Unit	Product Make/
No.	& Specifications	•	Per	Brand/Trade Mark etc.
1101		(4)	Pair/Pc.	
			/box/set	
1	2	3	4	5
1	Boxing Punching	Made of Geniune Leather with	PC	
	Bag	Reinforce Cotton Cloth. Zip. Closure		
		at top. Includes 4 way Chain .		
		Durable Bag 4 Countless Punches &		
		Tranning. 5Ft. Length.		
2	Boxing Ring Equip	ment & Accessories	Complete	
	2011119		Set	
	(A) Daving Ding	Metal rope wire with 8mm thick iron	(AToG)	
	(A) Boxing Ring	wire & 2 mm sleeve Coating		
	Rope		=	
		Standards with Nitrile pipe Covring.		
	(B) Boxing Ring	Ring Rope Cover With hook & loop		
	Rope Cover	attachment these are made of Vinyl		

S. No.	Name of the Items & Specifications	Specifications	Unit Per Pair/Pc. /box/set	Product Make/ Brand/Trade Mark etc.
1	2	3	4	5
	(C) Boxing Ring Canvas	.Uppar Canvas made from heavy cotton for heavy Use & AlongSide canvas with velcro & eyelets for Attachment of Skirt & ring attachment.		
	(D) Boxing Ring Skirt	Side Canvas or Skirt to Cover the ring from the Sides.		
	(E) Rope Spacer (set of 8 pcs)	Extra thick with grammets every 12 inches Complete With tie-down lash cord		
	(F) Corner Pad	Vinyl Coated fabric with triangular shape which fits in the ring Properly. Soft Cushion for Sofety. Set of 4(2 White, 1 red & 1 blue) Straight econmical corner Pads.		
	(G) Turnbuckle	Rope Buckle cover is to Protect the buckle between boxing ring & the pole the Cushion can be easily attached to the ropes with hook & loop fastener		
3	Digital Timing System For Archery	 Secure wireless connection Reading distance up to 100 m Display of AB-CD rototions, times and signals Indoor & out door use Brightness adjustment Display of battery level Remote control with a range of 100m Rechargeable remote control 	Complete Set	
		Inclusions: . 2 displays . 1 remote . 2 chargers . 2 Tripod Approved by World		
		Approved by World Archery/Archery Association Of India.		
4	Competition Weight Lifting Platform	4 M × 4 M ×100 MM • MADE OF SEASONED • HARDWOOD • 4 METAL INSERTS THROUGH • HARDWOOD PLANKS FOR • HOLDING PLATFROOM	PC	

S. No.	Name of the Items & Specifications	Specifications	Unit Per Pair/Pc. /box/set	Product Make/ Brand/Trade Mark etc.
1	2	3	4	5
		TOGETHER ANGLE IRON CORNERS ON ALL CORNERS FOR TETHRING TO FLOOR ANTI - SLIP COATING ON TOP PLAYING AREA Approved by Indian Weight Lifting Federation.		
5	Training Weight Lifting Platform	3 M × 3 M ×25 MM: • MADE OF HEAVY DUTY PIPE 95MM X 25 MM WITH SOLID THICK RUBBER SHEETS OF 22 MM FOR LONGER LIFE AND WOODEN CENTRE	PC	



Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:
- (a) Have controlling partners/shareholders in common; or
- (b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- (c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
- (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
- (e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
- (f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Work/supplys or services that are the subject
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.



Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

Decidration by see					
In relation to my/our Bid submitted to procurement ofin responsion	use to their Notice inviting bids hereby declare under Section 7				
1. I/we possess the necessary professional, resources and competence required by the Procuring Entry;	technical, financial and managerial Bidding Document issued by the				
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay and the state government or any local au Document.					
3. I/we are not insolvent, in receivership, bar my/our affairs administered by a court or a jud activities suspended and not the subject of legareasons;	icial officer, not have my/our business				
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;					
5. I/we do not have a conflict of interest as spe Document, which materially affects fair compe	cified in the Act, Rules and the Bidding tition;				
Date:	Signature of bidder Place :				
Place:	Name:				
	Designation:				
	Address:				

067

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Dy. Secretary Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan, The designation and address of the Second Appellate Authority is **Principal Secretary** Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan.

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.
- (4) Appeals not to lie in certain cases:- No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-
- (a) Determination of need of procurement
- (b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations
- (d) Cancellation of a procurement process
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality
- (5) Form of Appeals:-
- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,
- (c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post orauthorised representative.

(6) Fee for filing Appeal:-

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be nonrefundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

- (a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall- (i) hear all the parties to appeal present before him; and (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.



Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis: i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

- ii. It there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Work/supplys or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital

04}

nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

OBJE

SCHEDULE 'H': CONDITION OF CONTRACT

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012

App	eal NoBefore theBefore theBefore the
	Particulars of appellant:
	i) Name of the appellant:
	(ii) Official address, if any:
	(iii) Residential address:
2.	Name and address of the respondent(s):
	(i)
	(ii)
	(iii)
3.	Number and date of the order appealed against and name and designation of the office/authority that passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: If the Appellant propose to be
7.	represented by a representative the name and postal address of the representative:
5.	Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6.	Grounds of appeal: (Supported by an affidavit)
7.	Prayer:
	Place:
	Date:

OK.

Appellant's Signature

निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची (चैक लिस्ट)

क्र.	विवरण	प्रपत्र	संलग्न किये	संलग्न
सं.		संख्या	गये	पृष्ठ
			(हाँ / नहीं)	संख्या
1.	चैक लिस्ट	T-1		
2.	निविदा प्रपत्र मय शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर	T-2		
	संलग्न किया। As Acceptance of Terms & Conditions of the			
	tender			
3.	तकनीकी बिड़ के साथ बयाना राशि का बैंकर्स चैक/डी.डी.	T-3		
	संलग्न है।			
4.	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है।	T-4		
5.	जी.एस.टी. देयता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति प्रपत्र जी.एस.टी.	T-5		
	आर.—3बी में संलग्न की गई। (केवल 31 मार्च 2023 की)			
6	PAN No. की छाया प्रति संलग्न है।	T-6		
7.	Declaration of not Blacklisted.	T-7		
8	निर्माता/अधिकृत विक्रेता के प्रमाण-पत्र/अधिकृत पत्र की	T-8		
	छाया प्रति संलग्न है।			
9	बिड की जा रही सामग्री अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय मानक की है, का	T-9		
	सक्षम प्रमाण पत्र संलग्न करें।			
10	Declaration by Bidder about certification of Items does not	T-10		
	issued by authority.	T-11		
11	Authorization certificate If the tender is signed other than owners	1-11		
12	Should have minimum turnover of Rs. 25.00 lacs per	T-12		
	year (Last 2 financial years i.e. 2021-22 to 2022-23).			
	Turn over प्रमाण पत्र पर सीए का यूडीआईएन अंकित			
	होना आवश्यक है।			
13	Should have successfully completed order of Govt.	T-13		
10	/Semi Govt.,/Public Sector departments/ Reputed private	1 10		
	Sector/Institutions. Successful work completion			
	certificates or GST Sales Invoice to be submitted, as			
	mentioned in point no.10 of pre- qualification criteria.			
14	बिड खेल सामग्री के कैटलॉग/ब्रोशर्स टेक्निकल बिड में	T-14		
	अंकित आईटम संख्या का स्पष्ट उल्लेख कर जमा किये गये			
	हैं।			
15	विभिन्न खेल उपकरणों के बिड़ ब्राण्ड एवं स्पेशीफिकेशन्स	T-15		
	एवं क्रीड़ा परिषद में जमा कैटलॉग / ब्रोशर्स के ब्राण्ड एवं			
	स्पेशीफिकेशन्स की टेक्निकल बिड में अंकित खेल उपकरण			
	क्रमवार SOFT COPY तथा हार्ड कापी सील बन्द लिफाफे में			
	जमा करवा दी गयी है।			
16	एनेक्चर A से D हस्ताक्षरित	T-16		AMBERTAL.
17	SCHEDULE 'H': CONDITION OF CONTRACT	T-17		
18	अन्य दस्तावेज जो निविदादाता द्वारा संलग्न किये गये है।	T-18		

Oro P

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं० 0141—2744283, फैक्स नं० 0141—2740568, ईमेल आईडी—rsscjaipur@gmail.com

ई-निविदा सूचना संख्या/2023-24

FINANCIAL BID

कार्य का नाम :- खेल उपकरणो की आपूर्ति हेतु

1. बोलीदाता का नाम
2. डाक का पता
3. टेलीफोन नं. (कार्यालय)
(निवास)
4. बयाना राशि का विवरणः—डी.डी. / बैंकर्स चैक संख्यावैंक का
नामदिनांकराशि
 बोलीदाता द्वारा दरें एफ.ओ.आर. अर्थात गन्तव्य स्थान यथा सवाई मानिसंह स्टेडियम
जयपुर तक ट्रान्सपोर्टेशन खर्चों सहित तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा देय समस्त करे
सहित उद्धरित की जानी है।
वित्तीय बिड विभिन्न खेल उपकरण ई-बोली हेतु मैं / हम निम्नानुसार दर प्रस्तुत
करता हूँ / करते हैं।

FORMAT FOR PRICE QUOTATION OF ITEMS (BOQ)

All Items should be as per National/International Norms & Standard. All products prices will be Inclusive of All Taxes.

S. No.	Name of the Items & Specifications	Specifications	Unit Per Pair/Pc. /box/set	Product Make/ Brand/Trade Mark etc.	सगस्त करो सहित खेल सामग्री की दर प्रति नग/शेट
1	2	3-	4	5	
1	Boxing Punching Bag	Made of Geniune Leather with Reinforce Cotton Cloth. Zip. Closure at top. Includes 4 way Chain . Durable Bag 4 Countless Punches & Tranning. 5Ft. Length.	PC		
2	Boxing Ring Equip	ment & Accessories	Complete Set		
	(A) Boxing Ring Rope	Metal rope wire with 8mm thick iron wire & 2 mm sleeve Coating Provided as per Competition Standards with Nitrile pipe Covring.	(A To G)		
	(B) Boxing Ring Rope Cover	Ring Rope Cover With hook & loop attachment these are made of Vinyl			
	(C) Boxing Ring Canvas	.Uppar Canvas made from heavy cotton for heavy Use & AlongSide canvas with velcro & eyelets for Attachment of Skirt & ring attachment.			
	(D) Boxing Ring Skirt	Side Canvas or Skirt to Cover the ring from the Sides.			
	(E) Rope Spacer (set of 8 pcs)	Extra thick with grammets every 12 inches Complete With tie-down lash cord			
	(F) Corner Pad	Vinyl Coated fabric with triangular shape which fits in the ring Properly. Soft Cushion for Sofety. Set of 4(2 White, 1 red & 1 blue) Straight econmical corner Pads.			
	(G) Turnbuckle	Rope Buckle cover is to Protect the buckle between boxing ring & the pole the Cushion can be easily attached to the ropes with hook & loop fastener			
3	Digital Timing System For Archery	 Secure wireless connection Reading distance up to 100 m Display of AB-CD rototions, times and signals Indoor & out door use Brightness adjustment Display of battery level Remote control with a range of 100m 	Complete Set		
		OK.	7		

S. No.	Name of the Items & Specifications	Specifications	Unit Per Pair/Pc. /box/set	Product Make/ Brand/Trade Mark etc.	समस्त करो सहित खेल सामग्री की दर प्रति नग/सेट
1	2	3	4	5	
		- Rechargeable remote control Inclusions: . 2 displays . 1 remote . 2 chargers . 2 Tripod Approved by World Archery/Archery Association Of India.			
4	Competition Weight Lifting Platform	4 M × 4 M ×100 MM • MADE OF SEASONED HARDWOOD • 4 METAL INSERTS THROUGH HARDWOOD PLANKS FOR HOLDING PLATFROOM TOGETHER • ANGLE IRON CORNERS ON ALL CORNERS FOR TETHRING TO FLOOR • ANTI - SLIP COATING ON TOP PLAYING AREA • Approved by Indian Weight Lifting Federation	PC		
5	Training Weight Lifting Platform	3 M × 3 M ×25 MM • MADE OF HEAVY DUTY PIPE 95MM X 25 MM WITH SOLID THICK RUBBER SHEETS OF 22 MM FOR LONGER LIFE AND WOODEN CENTRE	PC		

नोट :- वित्तीय बिंड ऑनलाईन ही BOQ में अपलोड की जानी है। उपरोक्त दरे सभी कर सहित है।

OK)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर